

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला ।

सेवा में

सभी प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
(शिक्षण महाविद्यालयों को छोड़कर)

यादि क्रमांक 12/2-2017 छा.(6)
दिनांक पंचकूला 24.01.2018

विषय:-

Consolidated stipend scheme for the welfare of SC students pursuing Higher Education in Government Colleges in Haryana for the year 2017-18.

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 12/2-2017 छा.(6) दिनांक 2.01.2018 की निरंतरता में।

आपको सूचित किया जाता है कि सभी राजकीय महाविद्यालयों को उक्त स्कीम के तहत वर्ष 2017-18 की दूसरी किस्त की राशि विभाग द्वारा 29.12.2017 को अलाट की जा चुकी है परंतु अभी तक अधिकतर राजकीय महाविद्यालयों द्वारा राशि खजाने से झा नहीं की गई है अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि राशि जल्द से जल्द खजाने से झा करके पात्र छात्रों को राशि का भुगतान करके APR भेजें। अन्यथा राशि लैप्स होने की स्थिति पर संबन्धित प्राचार्य स्वयं जिम्मेवार होंगे। यदि किसी महाविद्यालय की अतिरिक्त राशि की मांग है तो वह तत्काल E-mail द्वारा सूचित करें यदि सभी पात्र छात्रों में राशि वितरित करने के पश्चात राशि अधिक है तो इस बारे भी विभाग को सूचित करें। यदि किसी पात्र छात्रों को पिछले किसी वर्ष की छात्रवृत्ति किसी कारणवश प्रदान न की जा सकी हो तो पिछला Backlog भी इस वर्ष के बजट राशि में से प्रदान कर दिया जाये। भविष्य में कोई Backlog की राशि विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

इसके अतिरिक्त एक या दो छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि की मांग के कारण महाविद्यालयों द्वारा अन्य छात्रों को भी छात्रवृत्ति राशि नहीं दी जाती है। अतः निर्देश दिए जाते हैं कि पहले आपके पास जो बजट है उसे खर्च करें तदपश्चात नई मांग करें। आदेशों की पालना दृढता से की जाए।

सरकार द्वारा कुछ जातियों को SC जाति में शामिल किया गया है इन जातियों को देय लाभ Date of notification की तिथि से बनता है। तदनुसार कार्यवाही करें।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि राशि खजाने से शीघ्र झा कर ली जाए ताकि लैप्स राशि से बचा जा सके।

Kuldeep Singh

उपनिदेशक छात्रवृत्ति,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला ।

आदेशों की
कार्यवाही